महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/4/1998/पार्ट-I/ 49711-49809 दिनांकः- 21/11/19

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक/प्रभारी,
महिला बंदी सुधारगृह, राजस्थान।

परिपत्र

विषयः कारागृहों में निरूद्ध महिला बंदियों की मुलाकात बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सभी संभाग स्तर पर महिला बंदी सुधारगृह सुचारू रूप से संचालित है। यह संज्ञान में आया है कि महिला बंदियों की मुलाकात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह द्वारा अपने अधीन संचालित महिला बंदी सुधारगृह में निरूद्ध महिला बंदियों के निकटतम पुरूष परिजन/रिश्तेदारों एवं पुरूष बंदी (पिता/पति/पुत्र/अन्य रिश्तेदार आदि) की मुलाकात हेतु अपनी कारागृह से प्रभारी नियुक्त किया जावे, जो प्रभारी महिला बंदी सुधारगृह के साथ महिला बंदी की एक उपयुक्त स्थान जहॉ पुरूष बंदी निरूद्ध है वहॉ पर मुलाकात कक्ष में तथा अन्य की महिला बंदी सुधारगृह के मुलाकात कक्ष में अभिरक्षा में मुलाकात करवायेंगे। इस हेतु व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जावे। इनकी मुलाकात हेतु संबंधित कारागृह अधीक्षक द्वारा अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

जिन कारागृहों में महिला बंदी एवं पुरूष बंदी एक ही कारागृह में निरूद्ध है उन कारागृहों में महिला बंदियों की पुरूष बंदियों से मुलाकात हेतु प्रभारी कारागृह द्वारा प्रभारी नियुक्त किया जावे, जिसके द्वारा महिला बंदी की पुरूष बंदी से मुलाकात कक्ष में अभिरक्षा में एक उपयुक्त स्थान पर मुलाकात करवाई जायेगी। इस हेतु व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जावे।

कारागृहों में निरूद्ध महिला बंदियों में से विचाराधीन महिला बंदियों की मुलाकात 07 दिवस में एक बार तथा दण्डित महिला बंदियों की मुलाकात 15 दिवस में एक बार करवाई जावे। इन मुलाकातों का अंकन कारापाल/मुख्य प्रहरी रिपोर्ट बुक में अनिवार्य रूप से किया जाये।

भवदीय

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर ।
2. अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को वास्त अपलोड।
6. प्रभारी, बंदी शाखा, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर